NAME OF NEWSPAPERS-

DATED-

21-3-2023

अमर उजाला

बेघरों के रैन बसेरे हटाने या स्थानांतरित करने के दिशा निर्देशों की मांग पर केंद्र, दिल्ली को नोटिस नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बेघरों के लिए किसी भी आश्रय को हटाने या स्थानांतरित करने से पहले अधिकारियों के लिए दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र, दिल्ली सरकार व अन्य से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दावा किया गया था कि सरकार की एक एजेंसी के बनाए आश्रयों को उसकी दूसरी शाखा हटाने की मांग कर रही है। जस्टिस एसके कौल, जस्टिस ए अमानुल्लाह और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में अब 5 अप्रैल को सुनवाई होगी। दिल्ली निवासी सुनील कुमार अलेदिया ने याचिका में कहा कि डीडीए ने यमुना बाढ़ के मैदानों की बहाली और कायाकल्प शुरू कर दिया है और क्षेत्र में स्थित 14 रैन बसेरे ध्वस्त होने के कगार पर हैं। 15 फरवरी को सराय काले खां बस टर्मिनल के पास स्थित रैन बसेरों में से एक को अधिकारियों ने ध्वस्त कर दिया था। वकील कबीर दीक्षित के जरिये दाखिल याचिका में दावा किया गया कि जी-20 सम्मेलन समेत अन्य कारणों से बिना किसी अध्ययन के इन रैन बसेरों को ध्वस्त किया जा रहा है। इन रैन बसेरों में बड़ी मात्रा में बेघर लोग, दिहाड़ी मजदूर में रात बिताते हैं। ये इन गरीबों के सिर की छत है। इन्हें यूं अचानक हटाने से इन बेघर व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता और सम्मान पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। एजेंसी

NAME OF NEWSPAPERS

पंजाब केसरी

-DATED

🕨 २१ मार्च, २०२३ 🕨 मंगलवार

दिल्ली के जाम को कम करने व मोबिलिटी को बढ़ावा देने वाले कई प्रोजेक्ट मंजूर

एमजी रोड पर छतरपुर से हरियाणा बॉर्डर के गोलपहाड़ी तक बनेगी वैकल्पिक रोड

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): ट्रैफिक जाम को खत्म करके वाहनों के संचालन को सुगम बनाने के उद्देश्य से एलजी वीके सक्सेना के नेतृत्व में राजधानी में बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। इस क्रम में ट्रैफिक जाम को कम करने व ट्रैफिक फ्लो में सुधार करने सहित वॉकेबिलिटी और साइकिलिंग को बढ़ावा देने संबंधी कई परियोजनाएं जारी हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सोमवार को डीडीए की प्लानिंग विंग यूनिफाइड ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग सेंटर (यूटीटीआईपैक) की गवर्निंग बॉडी की 67वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान ट्रैफिक को कम करने, शहर में मोबिलिटी और ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने वाली कई योजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में एमजी रोड पर छतरपुर मेट्रो स्टेशन से हरियाणा बॉर्डर पर फरीदाबाद-गुड़गांव रोड पर गोल पहाड़ी तक मंडी रोड के चौड़ीकरण और अपग्रेडेशन को



स्वीकृति दी गई। 9.05 किलोमीटर की यह मौजूदा सड़क जो 8 से 12 मीटर की सड़क है, अब 30 मीटर की हो जाएगी। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित और पीडब्ल्यूडी द्वारा बनायी जाने वाली इस परियोजना को पहली बार यूटीटीआईपैक द्वारा मई 2013 में अपनी 43वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था। हालांकि एलजी ने इस प्रोजेक्ट के निर्माण में हुई देरी नाराजगी जताते हुए पीडब्ल्यूडी को परियोजना के निष्पादन के लिए एक ठोस टाइमलाइन तैयार करने के निर्देश जारी किए और यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए कि पीडब्ल्यूडी द्वारा प्रोजेक्ट को अनुमानित समयसीमा में पूरा किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस परियोजना से विशेषरूप से बाहरी रिंग रोड से परे दक्षिणी दिल्ली एरिया में मोबिलिटी और ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान होगा।

वॉकेबिलिटी को बढ़ाने के प्लान मंजूर...

बैठक में मंडी हाउस और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन के आस-पास के क्षेत्र में वॉकेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भी योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना में बाराखंभा रोड, तानसेन मार्ग, सफदर हाशामी मार्ग, सिकंदरा रोड, भगवान दास रोड, कॉपरिनक्स मार्ग और फिरोजशाह रोड आदि शामिल हैं। इससे बंगाली मार्केट और टोडरमल रोड जैसे सर्विस एरिया के अलावा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, मॉडर्न स्कूल, लेडी इरविन कॉलेज, मंडी हाउस, तालत कला अकादमी

और नेपाल के दूतावास जैसे संस्थानों के आस-पास पैदल यात्री और ट्रैफिक सर्कुलेशन को कम करेगा। वहीं, शादीपुरी व पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन के लिए मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन मंजूरशादीपुर मेट्रो स्टेशन,

पीरागर्दी मेट्रो स्टेशन और मयूरविहार एक्सटेशन मेट्रो स्टेशनों की मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन योजनाओं को भी मंजूरी दी गई।

dainikbhaskar.

बैठकः एलजी ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और पुनर्विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी

भारकर न्यूज | नई दिल्ली

दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने सोमवार को यूनिफाइड ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग सेंटर (यूटीटीपीईसी) की गर्वनिंग बॉडी की 67वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सबसे पहले 26 सितंबर, 2022 को हुई 66वीं बैठक में लिए गए निर्णयों को अंतिम मंजूरी दी गई। बैठक में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम और आसान बनाने के उद्देश्य से विभिन्न दूरगामी परियोजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया और इससे संबंधित विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम और आसान बनाने के उद्देश्य से विभिन्न दूरगामी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में युटीटीपीईसी के लोगो और



टैगलाइन को भी मंजूरी दी गई अब से यूटीटीपीईसी का नया टैगलाइन "प्रशस्त यातायात संशक्त दिल्ली" है।

एम जी रोड स्थित छतरपुर मेट्रो स्टेशन से लेकर हरियाणा बौर्डर पर फरीदाबाद के गोलपहाड़ी तक मांडी रोड का चौड़ीकरण और उन्नयन (अपग्रेडेशन) किया जाएगा। आज के निर्णय से 9.05 किलोमीटर में फैली मौजुदा सड़क का आरओडब्ल्य 8- 12 मीटर से बढ़ा कर 30 मीटर तक विस्तार किया जाएगा। यह परियोजना भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है और इस काम को पीडब्ल्यूडी और जीएनसीटीडी द्वारा किया जाना था। पहली बार इस परियोजना को यूटीटीआईपीईसी की 43 वीं बैठक में मंजूरी दी गई थी लेकिन अब तक यह परियोजना प्री नहीं हई।

NAME OF NEWSPAPERS

DATED-

दिल्ली/ एनसीआर जागरण

नई दिल्ली, 21 मार्च, 20**2**3 **दैनिक जागरण**

बेघरों के आश्रय स्थल हटाने के मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब नई दिल्ली, प्रेट्र : बेघरों के लिए बने को केंद्र और दिल्ली सरकार से किया गया है कि सरकार की एक (डीयूएसआइबी) को नीटिस जारी

किसी भी आश्रय स्थल को हटाने या दूसरी जगह स्थानांतरित करने से पहले अधिकारियों द्वारा दिशानिर्देशों के अनुपालन की मांग संबंधी

जवाब तलब किया।

जस्टिस एसके कौल, जस्टिस ए. अमानुल्लाह और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ उस याचिका पर

एजेंसी द्वारा बनाए गए बेघरों के लिए आश्रय स्थलों को सरकार की दसरी शाखा द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है। पीठ ने डीडीए और दिल्ली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा शहरी आश्रय स्थल सुधार बोर्ड

सनील कमार अलेडिया द्वारा दाखिल याचिका में कहा गया है कि डीडीए ने यमुना के बाढ़ वाले क्षेत्रों का

पुनरुद्धार शुरू किया है और इस करते हुए सुनवाई पांच अप्रैल के क्षेत्र में स्थित 14 आश्रय स्थल लिए स्थिगित कर दी। दिल्ली निवासी ध्यस्तीकरण की कगार पर हैं। 15 फरवरी को सराय काले खां बस टर्मिनल के पास एक रात्रि आश्रय स्थल को ढहा भी दिया गया था।

छतरपुर से हरियाणा बार्डर की गोल पहाड़ी तक बनेगी वैकल्पिक सड़क

यूटीटीआइपीईसी की बैठक में लिए गए कई अहम निर्णय

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सोमवार को डीडीए की प्लानिंग विंग यूनिफाइड ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग सेंटर (यटीटीआइपीईसी) की गवर्निंग बाडी की 67वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान ट्रैफिक को कम करने, शहर में आवागमन और परिवहन को बढावा देने वाली कई योजनाओं को मंजुरी दी गई।

बैठक में एमजी रोड पर छतरपुर मेट्रो स्टेशन से हरियाणा बार्डर की फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड पर गोल पहाड़ी तक मंडी रोड के चौड़ीकरण और उन्नतीकरण को स्वीकृति दी गई। 9.05 किलोमीटर की यह मौजूदा सड़क, जो आठ से 12 मीटर लंबी है, अब 30 मीटर की हो जाएगी। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित और पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई जाने वाली इस परियोजना को पहली बार यूटीटीआइपीईसी द्वारा मई 2013 में अपनी 43वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था। हालांकि, एलजी ने इस प्रोजेक्ट के निर्माण में हुई देरी पर नाराजगी जताई। साथ ही यह सुनिश्चित करने के भी निर्देश जारी किए कि पीडब्ल्यूडी द्वारा प्रोजेक्ट को अनुमानित समयसीमा में पुरा किया जाए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से, विशेषरूप से बाहरी रिंग रोड से परे दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र में आवागमन और टैफिक जाम की राजधानी का टैफिक जाम कम करने व आवागमन को बढ़ावा देने वाले कई प्रोजेक्ट हुए स्वीकृत

 उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में हुई यूटीटीआइपीईसी की गवर्निंग बाड़ी की 67वीं बैठक



राजनिवास में यूटीटीआइपीईसी की बैठक लेते एलजी वीके सक्सेना 🤛 सौ. राजनिवास

मेटो स्टेशनों के लिए मल्टी माडल इंटीग्रेशन मंजूर

शादीपुर, पीरागढ़ी और मयूर विहार एक्सटेंशन मेट्रो स्टेशनों की मल्टी माडल इंटीग्रेशन योजनाओं को भी मंजूरी दी है। इंटरकनेक्टेड स्ट्रीट नेटवर्क, स्ट्रीट डिजाइन, सिग्नलाइज्ड और ग्रेंड से अलग स्ट्रीट क्रासिंग, माडल इंटरचेंज लोकेशन और साइकिल, बस, आटो रिक्शा और निजी कार आदि के लिए स्ट्रीट पार्किंग, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था, हाकर जोन, साइनेज और स्ट्रीट मैप व अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए सार्वजनिक परिवहन को भी मंजूरी दी गई।

समस्या का निदान होगा।

वाकेविलिटी को वदाने का प्लान मंजूर: बैठक में मंडी हाउस और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन के आसपास के क्षेत्र में वाकेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भी योजना को मंजूरी दी गई। इसमें बाराखंभा रोड, तानसेन मार्ग, सफदर हाशमी मार्ग, सिकंदरा रोड, भगवान दास रोड, कापरनिकस मार्ग एवं फिरोजशाह रोड शामिल हैं। इससे बंगाली मार्केट और टोडरमल रोड जैसे सर्विस एरिया के अलावा, राष्ट्रीय नादय विद्यालय, माडर्न स्कूल, लेडी इर्विन कालेज, मंडी हाउस, ललित कला अकादमी और नेपाल के दूतावास जैसे संस्थानों के आसपास पैदल यात्री और यातायात का दबाव कम करेगा।

NAME OF NEWSPAPERS-

DATED-

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI TUESDAY, MARCH 21, 2023

Many left homeless after houses on Yamuna floodplain demolished

Ridhima.Gupta@timesgroup.com

New Delhi: On Monday evening. Prem Singh and his granddaughter desultorily dug out their belongings from beneath the rubble of their Yamuna riverbank house. It wasn't a disaster that felled their home. It was among the 40 jhuggis in Bella Estate near Rajghat that were demolished by Delhi Development Authorities in the afternoon.Several officials arrived at the slum around 3pm along with police and machinery to start the eviction drive. Even as the dismayed slum dwellers watched, they began pulling down their huts. The move was a follow-up to Delhi High Court's direction last Wednesday to the area residents to vacate their jhuggis on the Yamuna floodplain within three days, failing which they would have to pay Rs 50,000 each to Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) or face demolition.

Kawar Lal, 40, and his mother, 60, were yet to come to terms with losing their home and their farmland. "My forefathers lived here and were involved in farming during the time of the British," claimed Lal. "Despite sho-



DEMOLISHED, DISMAYED

The move was a follow-up to belli High Court's direction last Wednesday to the area residents to vacate their jhuggis on the Yamuna floodplain within 3 days

wing papers proving this, our houses were demolished today and we have been rendered homeless." Lal said his elderly father recently had an eye operation. "We do not even have a shed now to our name and it's going to rain. I do not know where I should take my old parents now," fretted Lal.

Rekha, 40, who is Delhi women's

president of Bhartiya Kisan Union (Balraj), railed, "DDA has not just taken our houses but have also destroyed our standing crop. This means even our livelihood is gone. We haven't been offered rehabilitation either. Isn't our option now only to beg on the streets?"

DDA officials present said, "We are taking up the demolition as per the high court's order. Those who were eligible for rehabilitation have already been given it." This seemed to contradict DDA officials telling TOI earlier that no rehabilitation was possible in cases of illegal construction, which is what NGT says any construction on the Yamuna floodplain is.

Meanwhile, many slum dwellers claimed that around 35 families whose houses were razed earlier by DDA were promised rehabilitation. "Many of them also paid Rs 7,000 to DDA for a flat, which they have never got possession of till date," said Randhree, petitioner in a case in the high court. Lawyer Kamlesh Mishra, who is representing the slum dwellers, said the case is listed for hearing on Tuesday. "We wanted DDA not to carry out demolition till then, but they went ahead," said Mishra.

हिन्दुस्तान नई दिल्ली, मंगलवार, 21 नार्च 2023

दो करोड़ लोगों को पाइपलाइन से पानी

सुविधा

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। राजधानी में करीब 93 फीसदी घरों में सीधे पाइपलाइन के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है।

सरकार ने गर्मी के मौसम में जल उत्पादन लगातार 956 एमजीडी बनाए रखा, जिससे करीब दो करोड़ लोगों को जलापूर्ति नेटवर्क के जिरये पानी पहुंचाया गया। इसमें 15,383 किमी लंबी पाइपलाइन और 117 भूमिगत जलाशय शामिल हैं। यह दावा दिल्ली सरकार ने आर्थिक सर्वे में किया है। सर्वे में बताया गया है कि पानी की आपूर्ति को बेहतर करने के लिए 397 नए पानी के टैंकर लगाए गए हैं। इनके कंटेनर स्टेनलेस स्टील के हैं और उनमें जीपीएस लगा हुआ है। पानी की किल्लत वाले इलाकों में पानी सप्लाई में सुधार के लिए किराये पर लिए गए 596 माइल्ड स्टील टैंकरों के अलावा अत्याधिक गर्मी के दौरान खरीदे गए 250 नए स्टेनलेस स्टील टैंकरों का भी उपयोग किया जा रहा है।

मार्च 2021 में दिल्ली के कुल 2.10 करोड़ लोगों के लिए जल की कुल आवश्यकता 1260 एमजीडी रही है। डीडीए के मास्टरप्लान 2021 में भी इस आंकड़े की पृष्टि की गई है। विभिन्न जल शोधन संयंत्र से वर्ष 2022 में 943 एमजीडी पानी मिल रहा है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI TUESDAY, MARCH 21, 2023

NEWSPAPERS-----DATED------DATED

Broken Homes: Residents & DDA Fail To Break Deadlock

SIGNATURE VIEW: 3 Offers From Authority Found 'Unfeasible'

Vibha.Sharma@timesgroup.com

New Delhi: Two months after the lieutenant governor ordered Delhi Development Authority (DDA) to redevelop the 'structurally damaged' Signature View Apartments in Mukherjee Nagar, the residents and the authority are yet to reach a consensus on the process for vacating the flats.

DDA officials have given three options — redevelopment, buyback and swapping of flats - to the residents, who claim none of these is feasible. On Monday, a group of residents said they had met four DDA members and requested them to raise the matter in the next board meeting.

'Given that the building is in a dangerous state, we are asking residents to shift. In the meantime, three offers have been given — one, DDA can buy back flats, second, it will redevelop the complex and pay the rentals to the affected residents at market rate, and third, a swap wherein they can be moved to DDA flats available in other parts of the city," a DDA official said,

The official said the redevelopment of the housing complex will be done as per the current norms, which means DDA will utilise more space and create more flats.



UNFIT FOR LIVING: The housing complex in Mukherjee Nagar was built between 2007 and 2010 and allotted to residents in 2011-12. But in just a few years, the buildings became structurally unsafe

The society's RWA, however, said DDA was initially paying only the original cost of flats, i.e., about Rs 75 lakh and upwards, and it was after their intervention that the authority agreed to pay 10.6% simple interest as per guidelines of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016.

"But RERA guidelines do not apply in Delhi and after including this interest amount too, the overall cost will be much less than the flats' market rate. Further, for swapping, DDA is giving the option to shift to flats in Jasola, Dwarka or Narela. But why would a person living in central Delhi prefer to shift to such far-flung places? Even the rent offered by DDA -- Rs 42,000 per month -- is less than that of flats in neighbouring gated societies," said RWA president Amarendra Jha.

"On the one hand, DDA was imposing compounding charges at 15% on the flat's original cost when the owners failed to pay the full amount on time and on the other, it expects us to return or sell the flats at meagre prices," added Jha.

Residents said plans to increase the number of flats from 336 to 516 and recover the cost by selling these apartments.

"It had earlier developed the apartments as per the 2001 Master Plan and wanted to reconstruct them as per MPD 2021. With the addition of so many flats, services will suffer. So DDA should either improve facilities and provide additional space to each flat owner or should not make additional houses," said a resident.

A DDA official said the "best" offer has been made to the residents and the authority would bear the cost of construction. "A committee that also includes residents has been constituted to address their issues," he said.

The housing complex was built between 2007 and 2010 and allotted to residents in 2011-2012. But in just a few years, the buildings became structurally unsafe. According to residents, construction-related issues surfaced in 2012-13, forcing them to pursue the authority. DDA later conducted a study through IIT-Delhi in 2021-22, which took 184 samples.

'The study's recommendation was to 'vacate and dismantle' the buildings immediately. But we were provided access to it only after we filed three RTIs with DDA," Jha claimed.

NAME (वभारत टाइम्स । नई दिल्ली । मंगलवार, 21 मार्च 2023

-DATED

मेरी कॉलोनी : दिल्ली : मेरा शहर

Hindustan Times

10 साल से ज्यादा वक्त बीता, नहीं बना कम्युनिटी हॉल डीडीए की प्लानिंग नए नियमों के चलते अटकी

विशेष संवाददाता, पालम

पालम गांव में बीते एक दशक से डीडीए के दो मंजिला कम्युनिटी हॉल का निर्माण पूरा नहीं हो पा रहा है। शुरुआत में पालम मेट्रो स्टेशन के निर्माण के चलते काम रुक गया। अब डीडीए के अधिकारी बता रहे हैं कि नियम बदल जाने की वजह से काम रुका हुआ था। इसके दोबार शुरू कराने का काम चल रहा है। इस साल के अंत तक यह कम्युनिटी हॉल पूरा हो जाएगा।

मर्जेटा मेट्रो लाइन में स्थित पालम दिव्यांगों मेट्रो स्टेशन के निर्माण के दौरान 2010 में कम्युनिटी हॉल का निर्माण कार्य रुक गया था। 2018 में मेट्रो स्टेशन का काम पूरा होने

के बाद सड़क पर दोबारा काम शुरू किया गया। इस बीच भवन निर्माण से जुड़ी नीतियों में कई बदलाव हो गए और इसकी वजह से कम्युनिटी सेंटर का काम रुक गया।

प्रोजक्ट से जुड़ी डीडीए अधिकारी ने बताया कि कोर्ट के आदेशानुसार अब



अब रैंप और लिफ्ट के मद्देनजर दोबारा हो रही प्लानिंग

एगा। नियमों के तहत हर दो मंजिला इमारत मर्जेटा मेट्रो लाइन में स्थि<u>त पालम दिव्यांगों</u> के अनुरूप होनी चाहिए।

इसके लिए इमारत में या तो रैंप बना होना चाहिए या फिर लिफ्ट हो। जब इस कम्युनिटी सेंटर का डिजाइन बना था तब इस

तरह का कोई प्रावधान नहीं था। यही कारण है कि इसमें न तो लिफ्ट थी और न रैंप। बिल्डिंग बनकर तैयार है, इसमें रंगाई, खिड़की, दरवाजे लगाने का काम बचा है। पर अब नई नीतियों के अनुरूप इसमें सुधार और बदलाव किए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना हैं कि आर्किटेक्ट इस पर काम कर रहे हैं।

डीडीए के अनुसार पालम, राजनगर व मंगलापुरी तीनों घनी आबादी वाले इलाके हैं। यहां पर कोई कम्युनिटी हॉल नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पार्कों व घर के आगे टैंट लगाकर शादी व अन्य समारोह का आयोजन करता है। इससे मंगलापुरी वॉर्ड के पार्कों की हालत काफी खराब है। लोगों के लिए पालम मेट्रो स्टेशन के सामने डीडीए का निर्माणाधीन दो मंजिला कम्युनिटी सेंटर आशा की किरण है। फिलहाल इस कम्युनिटी हॉल का इस्तेमाल कुछ सरकारी विभाग पार्किंग के तौर पर कर रहे हैं।

SIGNATURE VIEW RESIDENTS REJECT DDA'S PLAN FOR REHABILITATION

NEW DELHI: Residents of Signature View Apartment at Mukherjee Nagar, declared structurally unsafe in 2022, are yet to agree to a rehabilitation plan of the Delhi Developmental Authority (DDA) even two months after the lieutenant governor ordered that the structure be rebuilt.

DDA has given three options to residents as part of its rehabilitation plan: buy back the flat along with 10.6% simple interest from the date of payment, swap the flat with another DDA flat in Delhi, or get a new flat in the redeveloped housing complex and get rental for the construction period.

However, the residents of Signature View Apartment have sought a revision of the offers, especially regarding redevelopment. The RWA has sought an appointment with LG VK Saxena to discuss the matter. The RWA on Monday also gave a presentation to legislators of the Bharatiya Janata Party and the Aam Aadmi Party, who are members of DDA. Amarendra Kumar, RWA president, said, "We want DDA to develop the housing complex on 'as is where is' basis, and immediately start paying rentals." But a senior DDA official said, "We have not accepted their request."